सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 12/2008

बनवारीलाल पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी राजपुरा तह0 बारां जिला बारां ....वादी

♠ बनाम ♠

1. जगन्नाथ आत्मज श्री मूलीलाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां (मृतक)
   1/1 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां
   1/1/1 मोहर बाई पत्नि रामेश्वर
   1/1/2 पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर } जातियान मीणा निवासीगण रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
   1/1/3 जुगराज पुत्र रामेश्वर
   1/2 केशर बाई बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां
2. पीरूमल पुत्र सूरजमल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

प्रकरण सख्या : 24/1990

1. पीरूलाल पुत्र सूरजमल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां
2. चतुर्भुज उम्र 14 वर्ष ना0बा0 पुत्र सूरजमल जाति मीणा जर्ये वली माता भूली बाई बेवा सूरजमल मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां (मृतक)
   2/1 छयाना बाई बेवा
   2/2 कुणाल कुमार } स्व0 चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां (राज0)
   2/3 अमित कुमार
3. भूली बाई बेवा सूरजमल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां
4. जगन्नाथ पुत्र मूली लाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां (मृतक)
   4/1 रामेश्वर पुत्र मूली लाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल (मृतक)
   4/2 केसर बाई बेवा मूली लाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल (मृतक)
   4/1/1 मोहर बाई पत्नि
   4/1/2 पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र } स्वर्गीय रामेश्वर जाति मीणा निवासीगण रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां
   4/1/3 जुगराज

बादीगण

♠ बनाम ♠

1. बनवारी आत्मज रामकरण जाति मीणा निवासी राजपुरा तह0 बारां जिला बारां
2. किशनलाल पुत्र मूलीलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तह0 बारां जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वादी किशनलाल : श्री महेन्द्र सिंह हाडा व श्री के0 के0 सोनी

वादी बनवारी की ओर से : कोई उपस्थित नही है।

निर्णय दिनांक : 22.10.2018

दावा दिनांक: 11.01.2008

दोनो वाद बनवारीलाल बनाम जगन्नाथ वगैरह अन्तर्गत धारा 188, 183 राज0 टी0 एक्ट0 व किशनलाल वगैरह बनाम बनवारी लाल वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188 आर0टी0एक्ट0 को एक साथ कन्सोलिटेड किऐ जाकर एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.1990 को आदेश किया जा चुका है0, इसलिए दोनो वादो का निर्णय एक साथ पारित किया जा रहा है।

संक्षेप में दौनो वाद व प्रस्तुत जवाबदावा से संबंधित तथ्य इस प्रकार से है:-

प्रकरण संख्या 12/2008 बनवारीलाल बनाम जगन्नाथ वगै0 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में खसरा नं0 705 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा माल प्रथम पश्चिमी दिशा की, खसरा नं0 724 रकबा 14 बिस्वा चाही प्रथम उत्तरी साइड की। आराजी विवादग्रस्त का खातेदार काश्त चम्पालाल वल्द रामनाथ मीना था जिसका देहान्त सन् 1980 में हो चुका है। चम्पालाल ने उक्त आराजियात व अन्य जमीन जायदाद की वसीयत बहक वादी दिनांक 17.05.1979 को तहरीर करा दी व ग्राम पंचायत रायथल से उसकी तस्दीक करायी थीं उक्त वसीयत के आधार पर चम्पालाल की मृत्यु के पश्चात बाद तहकीकात आराजियात विवाद ग्रस्त का दाखिल आराजी खसरा नं0 265 बाबत खातेदारी हकूक बहक वादी तस्दीक कर दिया गया व वादी का इन आराजियात पर खातेदारी हकूक स्वीकार करते हुये रेकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी में चम्पालाल के स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार अंकित कर दिया। इस तरह वादी उक्त आराजियात का खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण अनाधिकार कानून हाथ में लेकर वादी को उक्त आराजियात के कब्जे से बेदखल करने व वादी के खातेदारी व कब्जे की फसल को आराजियात में वादी की देखरेख में परिवरिश हो रही है को ट्रेक्टर चला कर नष्ठ करने को आमादा है। प्रतिवादीगण का न तो

आराजियात पर कब्जा है और न ही कानूनन कोई हकूक है प्रतिवादीगण केवल ताकत के आधार पर वादी के हकूक में हस्तक्षेप करना चाहते है अतः वादी अपने टिनेन्सी हकूक की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है व इसी हेतु यह वाद प्रस्तुत है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस्त आशय की डिकी सादर फरमावें कि वादी को आराजियात वाके ग्राम रायथल तहसील रकबा में खसरा नं0 705 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा माल प्रथम पश्चिमी दिशा की, खसरा नं0 724 रकबा 14 बिस्वा वाही प्रथम उत्तरी साइड की का खातेदार काश्तकार करार देते हुये प्रतिवादीगण के नाम स्थायी निषेधाज्ञा इस्त आशय की जारी फरमावें कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजियात में अभी या भविष्य में कभी भी वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा न करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1/1 व 1/2 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है:–

01. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। खसरा नं0 705 का रकबा 26 बीघा है।
02. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 व 3 अस्वीकार है। कथित वसीयत 17.05.1979 फर्जी है। इन्तकाल नं0 265 अवैध है।
03. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। विवादित आराजी वादी के कब्जे काश्त में नही है। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
04. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5 नितान्त असत्य है।
05. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
06. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 7, 8, 9, 10, व 11 अस्वीकार है।

विशेष आपत्तिया:–

01. यह है कि वादी ने विवादग्रस्त आराजी को भी चम्पा पुत्र रामनाथ से अपने खाते दर्ज होना बताया है तथा चम्पा के खाते में मुसकानी बेवा रामनाथ के खाते से आई थी चम्पा ने उक्त आराजी को अन्य आराजियात के साथ अपने आपको रामनाथ व कानी का पुत्र बताकर अपने खाते दर्ज कराई थी। जबकि चम्पा, रामनाथ का पुत्र नही था। वरन गेलड पुत्र था। चम्पा के खाते में आराजी इन्तकाल नं0 72 से दर्ज हुई थी। जो अवैध है तथा जिसे निरस्त कराने हेतु दावा श्रीमान के न्यायालय में जैरकार है।

यह कि ग्राम रायथल तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 705 रकबा 26 बीघा का पूर्व खसरा
नं0 2740/924–927 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा था जो छप्पनजी के नाम से जानी जाती है।
यह कि जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 के अनुसार ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में कानी बेवा
रामनाथ 1/2 सूरजमल वल्द केशोलाल 1/6 पन्नालाल, मूलीलाल, 1/6 बल्देव, हरदेव, हीरा
1/6 के खाते में 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित थी। जिसका विवरण निम्न है। खसरा नं0 223
रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 470 रकबा 11 बि0, खसरा नं0 303/505/506 रकबा 1 बीघा, खसरा
नं0 303/505/506 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 198/506 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 510
रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 513 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 514 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0
2049/698 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 784 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 768
रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 2740/924/927 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 967
रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 960 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 2167/1170 रकबा 7 बिस्वा,
खसरा नं0 1171 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2769/1227 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा,
खसरा नं0 1518 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 2294/1524 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा
नं0 1531 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 20 किता 98 बीघा 12 बिस्वा।

04. उक्त खातेदारान में कानी बाई मृतक के कोई संतान नही थी। कानी बाई के खाते में भूमि रामनाथ
की वारिस होने से दर्ज हुई थी। चम्पालाल रामनाथ का पुत्र नहीं था वरन कानी बाई के पूर्व पति
का पुत्र था तथा गेलड था खातेदार सूरजमल मृतक ने अपने पीछे बेवा भूली बाई पुत्रगण पीरूलाल
प्रतिवादी कम 2 व चतुर्भुज छोडे है। खातेदार पन्नालाल का पुत्र किशनलाल है। खातेदार मूलीलाल
मृतक का पुत्र जगन्नाथ प्रतिवादी कम 01 है खातेदार बलदेव, हरदेव व हीरा करीब 40 वर्षो से
पहले गांव छोड कर चले गये है इस प्रकार उक्त 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी में कानी का 1/2
हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 2 व उसके भाई चतुर्भुज व माता भूलीबाई का 1/6 जगन्नाथ प्रतिवादी
कम 1 का 1/12 किशनलाल का 1/12 बलदेव हरदेव, व हीरा का हिस्सा 1/6 था।

05. चम्पालाल ने अपने खाते में इन्द्राज होने का लाभ उठाने के लिए सहायक समार्हता बारां के यहां
दावा मिसल नं0 77/63 बउनवान चम्पा लाल बनाम धूलीलाल, सूरजमल, बलदेव, किशना, अन्तर्गत
धारा 183, 187 पेश किया जिसमें आधी 49 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मूलीलाल वगैरह को अतिकमी
बताकर कब्जा पाना चाहा उक्त दावा का निर्णय दिनांक 31.12.1965 को हुआ तथा न्यायालय ने
यह माना कि भू–प्रबंन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 25.01.1959 व इन्तकाल नं0 72 शेष
खातेदारान की मौजूदगी में पारित नहीं किये गये इसलिए उनका प्रतिवादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव
नही पडता है उसका लाभ चम्पालाल प्राप्त नही कर सकेगा। उक्त भूमि पर कब्जा उक्त दावे के

प्रतिवादी मूलीलाल, सूरजमल वगैरह का मानकर दावा खारिज किया गया तथा न्यायालय ने यह भी बाबा चम्पालाल पूर्व खातेदार रामनाथ का पुत्र नहीं था, बल्कि गेलड था इसलिए इस निर्णय के विरुद्ध चम्पालाल द्वारा की अपील राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने दिनांक 08.02.1967 को तथा राजस्व मण्डल अजमेंर ने 14.10.1971 को निरस्त कर दी तथा उक्त खाते की 1/2 भूमि पर चम्पालाल का तथा 1/2 भूमि पर शेष खातेदारों का कब्जा बना रहा। जिसमें से आराजी नया खसरा नं0 705 रकबा 26 बीघा 724 रकबा 19 बिस्वा खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा कुल 27 बीघा 5 बिस्वा प्रतिवादी के हिस्से व कब्जे में रही।

06. चम्पालाल उक्त आराजी में से सेटलमेंट के बाद बने नये खसरा नं0 859 रकबा 23 बीघा 678 रकबा 1 बीघा कुल 24 बीघा भूमि को सिंलिंग में दे दिया। जिसका इन्तकाल नं0 177 तस्दीक दिनांक 24.01.1976 खुला तथा खाते में चम्पालाल का नाम होने का लाभ उठाकर चम्पालाल ने प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से कुल 47 बीघा 15 बिस्वा का इस्तिाफा दे दिया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त 47 बीघा 15 बिस्वा आराजी सिवायचक राज0 सन 1977 में दर्ज कर दी गई जिसके बाबत इन्तकाल नं0 194 खोल दिया गया उक्त दोनो इन्तकाल प्रतिवादी को बिना सहमति व स्वीकृति के खोले गये है जो अवैधानिक है तथा निरस्त योग्य है।

07. यह कि उक्त दोनो इन्तकाल से खाते में से 24 बीघा व 47 बीघा 15 बिस्वा कुल 71 बीघा 15 बिस्वा भूमि खाते से पृथक हो व सिर्फ नया खसरा नं0 705 की 26 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा कुल 27 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही खाते में रह गयी है यह भूमि शुरू से ही प्रतिवादी के कब्जे व हिस्से की भूमि है।

08. प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज कराने का दावा न्यायालय उप जिलाधीश बारां में बउनवान पीरूलाल बनाम बनवारीलाल वगै0 कर रखा है जबकि उक्त दावे का निर्णय नही हो जाता मौजूदा दावा चलने योग्य नही है।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 194/90 पीरूलाल वगै0 बनाम बनवारी लाल के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी कम 1 व 2 सगे भाई है वादनी कम 3 वादी कम 1 व 2 की माता है वादी कम 2 नाबा0 है जो अपनी माता वादनी कम 3 के संरक्षण में निवास करता है वादी कम 2 व 3 के हित एक दूसरे के विपरित नही है इसलिए वादी कम 2 का वाद मित्र वादी कम 3 को बनाकर वाद पेश है, ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत 2012–15 के अनुसार कान्ही बेवा रामनाथ 1/2 सूरजमल वल्द केशवलाल 1/6 पन्नालाल मूलीलाल 1/6 बलदेव, हरदेव, हीरा 1/6 के खाते में आराजी खसरा नं0 223 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं0 470 रकबा 11 बि0, खसरा नं0 303/505/506 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 303/505/506

198/506 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 510 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 513 रकबा 16
514 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 2049/698 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 784
6 बिस्वा, खसरा नं0 768 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 2740/924/927 रकबा 29
बिस्वा, खसरा नं0 967 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 960 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0
1170 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं0 1171 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2769/1227 रकबा 24
बिस्वा, खसरा नं0 1518 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 2294/1524 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा,
नं0 1531 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 20 किता 98 बीघा 12 बिस्वा स्थित है उक्त खातेदारान में
बाई मृतक के अपने पति रामनाथ के कोई संतान नही थी इसके पूर्व पति से चम्पालाल एक पुत्र था
रामनाथ का गेलंड पुत्र हुआ। सूरजमल मृतक ने अपने पीछे बेवा भूली बाई पुत्रगण पीरूलाल व चतुर्भुज
वादीगण छोडे है। पन्नालाल का पुत्र किशनलाल प्रतिवादी है। मूलीलाल मृतक का पुत्र जगन्नाथ वादी है
बलदेव हरदेव व हीरा करीब 40 वर्ष पूर्व गांव छोड कर चले गये है। इस प्रकार उक्त आराजी में वादीगण
क्रम संख्या 1 ता 3 का हिस्सा 1/6 वादी क्रम 4 का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्स 2/12 है।
बलदेव व हीरा का हिस्सा तथा कान्ही का हिस्सा 1/2 है। चम्पालाल ने अपने आप को रामनाथ (मृतक) व
कान्ही का पुत्र बताकर तथा सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर शेष सहखातेदारान का जानकारी व सहमति
लिये बिना ही उक्त 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी के बाबत भू–प्रबंध अधिकारी से आदेश दिनांक 25.01.1959
पारित करवाकर इंतकाल नं0 72 खुलवा लिया तथा उक्त आराजी को चम्पालाल वल्द रामनाथ के खाते
अंकित करा ली जबकि कान्ही का उक्त आराजी में सिर्फ 1/2 हिस्सा ही था। चम्पालाल ने उसके हिस्से
की आराजी में से सेटलमेंट के बाद नये बने खसर नं0 859 रकबा 23 बीघा खसरा नं0 678 रकबा 1 बीघा
कुल 24 बीघा भूमि को सीलिंग में दे दिया जिसका इंतकाल नं0 177 तस्दीक दिनांक 24.01.1976 खुला
तथा खाते में चम्पालाल का नाम होने का लाभ उठाकर चम्पालाल ने प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान
को नुकसान पहुचाने के उद्देश्य से कुल 47 बीघा 15 बिस्वा का इस्तिाफा दे दिया। जिसके परिणाम
स्वरूप उक्त 47 बीघा 15 बिस्वा आराजी सिवायचक राज0 सन 1977 में दर्ज कर दी गई जिसके बाबत
इन्तकाल नं0 194 खोल दिया गया उक्त दोनो इन्तकाल प्रतिवादी को बिना सहमति व स्वीकृति के खोले
गये है जो अवैधानिक है तथा निरस्त योग्य है। उक्त दोनो इन्तकाल से खाते में से 24 बीघा व 47 बीघा
15 बिस्वा कुल 71 बीघा 15 बिस्वा भूमि खाते से पृथक हो व सिर्फ नया खसरा नं0 705 की 26 बीघा 19
बिस्वा, खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा कुल 27 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही खाते में रह गयी है यह भूमि शुरू
से ही प्रतिवादी के कब्जे व हिस्से की भूमि है। प्रतिवादी क्रम 1 ने एक फर्जी वसियत नामा चम्पालाल
दिनांक 17.05.1979 को आधार बनाकर तथा राजस्व अधिकारियों से मिलकर इंतकाल नं0 265 तस्दीक
करवाकर उक्त 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी को बनवारी ने अपने खाते

किया जो वादीगण की बिना जानकारी व सहमति से खुलवाया गया था। इंतकाल नं0 72, नं0 177 इंतकाल नं0 194 इंतकाल नं0 265 के वादीगणो के विरूद्ध व्यय व शून्य है तथा वादीगण उक्त भूमि को अपने खाते बन्धवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी जानबूझकर उक्त भूमि है वादीगण उक्त भूमि को ... वादीगण को बेदखल करने को आमादा है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे उक्त आराजी खसरा नं0 705 रकबा 26 बीघा खसरा नं0 724 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 734 रकबा बिस्वा, जिसका बाद सेटलमेंट खसरा नं0 888 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1520 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1494 रकबा 2.17 है0, खसरा नं0 1521 रकबा 0.38 है, खसरा नं0 1426 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1439 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम रायथल से वादीगण को बेदखल नही करें। इस भूमि को रहन बैचान तथा अन्य किसी तरह से हस्तांतरण नही करे वादीगण को काश्त करने में व्यवधान नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बनवारी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है:-

01. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 व 3 अस्वीकार है।
03. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
04. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5 नितान्त असत्य है अतः अस्वीकार है।
05. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 6, 7 अस्वीकार है।
06. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है।
07. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 9, 10, 11 अस्वीकार है।
08. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 12 कानूनी है।
09. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 13, 14, 15, 16, 17, 18 व 19 अस्वीकार है। दादरसी स्वीकार नही है,

विशेष आपत्तिया व काउण्टर क्लेमः-

01. यह है कि चम्पालाल पुत्र रामनाथ का देहांत सन 1980 में ही हो चुका है मृत्यु के पूर्व तक विवादित खसरा नं0 साबिक 705, 724, 734 कुल रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा ग्राम रायथल पर तन्हा बतौर एक मात्र काबिज खातेदार रहा है।
02. चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में स्वस्थचित्त व विवके से अपने खाते की समस्त आराजियात वर्णित व अन्य जायदाद की वसीयत दिनांक 17.05.1979 को बहक प्रतिवादी बनवारीलाल

तहरीर कराई जिसको ग्राम पंचायत रायथल से तस्दीक कराया तथा उक्त वसीयत के आधार पर बाद तहकीकात इन आराजियात का दाखिला खारिज बनवारी के नाम तस्दीक किया गया। यह वसीयत चम्पालाल की अंतिम वसीयत थी।

03. उक्त वसीयत के आधार पर चम्पालाल के खातेदारी की उक्त आराजियात बनवारी लाल के खातेदारी हक प्राप्त हो चुके है व चम्पालाल की मृत्यु से लेकर आजतक इन आराजियात पर बतौर खातेदार काबिज है व लगान राज0 अदा कर रहा है नामा0 नं0 265 से वसीयत के आधार पर उक्त आराजियात बनवारीलाल के नाम खातेदारी में अंकित हो चुकी है वर्तमान में भी रेकार्ड ऑफ राईटस में बनवारी ही एक मात्र खातेदार काश्तकार है।

04. विवादग्रस्त आराजियात में खसरा नं0 705 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कस्बे पर बनवारी का कब्जा काश्त है तथा आराजियात खसरा नं0 705 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा पर जगन्नाथ पीरूलाल ने अनाधिकार सनु 1986 में बमाह आसाढ से कब्जा किया हुआ है जिसके बेदखली की कार्यवाही इसी न्यायालय में जैरकार है।

05. दावा दायरी के समय व वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त आराजी खसरा नं0 705 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा रकबा पश्चिमी साइड व खसरा नं0 724 रकबा 14 बिस्वा पूर्वी साईड पर नही था अतः दावा चलने योग्य नही है इन आराजियात पर बनवारी लाल का कब्जा काश्त है आराजी खसरा नं0 705 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा पर जगन्नाथ पीरूलाल ने कब्जा बाद में किया है जिसका प्रकरण जैरकार है।

अतः जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा सव्यय निरस्त फरमाया जावे। प्रतिवादी बनवारीलाल को इन आराजियात विवादित खसरा नं0 705, 724, 734 साबिक वाके ग्राम रायथल का खातेदार काश्तकार करार दिया जावें।

उक्त वाद, जवाब दावा के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः—

01. आया चम्पालाल ने बनवारी लाल के हक में वसीयत दिनांक 17.05.1979 तहरीर कराई जिसमें चम्पालाल की भूमि बनवारी को प्राप्त हुई

02. आया बनवारीलाल आराजी खसरा नं0 705 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा (पश्चिमी) व खसरा नं0 724 रकबा 14 बिस्वा (उत्तरी) का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है तथा पीरूलाल वगैरह के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

03. आया ग्राम रायथल में कान्ती बेवा रामनाथ 1/2 सूरजमल, 1/6 पन्ना मूलीलाल 1/6, बलदेव, हरदेव हीरा 1/6 के खाते में 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी थी।

आया चम्पालाल ने उक्त 98 बीघा 12 बिस्वा भूमि को अपने आपको रामनाथ व कान्ही का पुत्र जाकर सेटलमेंट अधिकारीयों से मिलकर सम्पूर्ण आराजी को इं0 नं0 72 से अपने नाम दर्ज करली, जबकि चम्पालाल रामनाथ का पुत्र नही था, गेलड आया था तथा कान्ही का 1/2 हिस्सा ही था।

05. आया चम्पालाल द्वारा प्रस्तुत दावा मि0 नं0 77/631 चम्पालाल बनाम मूलीलाल वगै0 अन्तर्गत धारा 183 राज0 टी0 एक्ट खारिज किया जा चुका है तथा अपील भी रेवेन्यू बोर्ड ने निरस्त की तथा 1/2 भूमि पर चम्पालाल का व 1/2 हिस्से पर शेष खातेदार का कब्जा रहा।

06. आया खसरा नं0 705 रकबा 26 बीघा, खसरा नं0 724 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा, कुल 27 बीघा 5 बिस्वा पर पीरूलाल, चतुर्भुज, मूलीलाल, रामेश्वर केसरबाई खातेदार टेनेन्ट घोषित कराने के अधिकारी है तथा यह भूमि उनके कब्जे काश्त में है।

07. आया चम्पालाल ने उक्त भूमि में से 47 बीघा 5 बिस्वा भूमि का इस्तिफा दिया जिसके बाबत इं0 नं0 174 खोला गया जो अवैधानिक है।

08. आया चम्पालाल ने 24 बीघा भूमि सीलिंग में देदी जिसका इं0 नं0 177 दिनांक 24.01.1976 खोला गया जो अवैधानिक है।

09. आया चम्पालाल ने अपने हिस्से की आराजी राज्य सरकार को सीलिंग में व इस्तिफा दे दिया है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी में उसका कोई हिस्सा नही है।

10. आया इं0 नं0 72, 177, 194, 265 ग्राम रायथल पीरूलाल वगै0 के विरूद्ध व्यय व शून्य है। बनवारी के पक्ष में खुला इंतकाल भी निरस्त होने योग्य है।

11. आया हाल खसरा नं0 888 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1520 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1494 रकबा 2.17 है0, खसरा नं0 1521 रकबा 0.38 है, खसरा नं0 1426 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1439 रकबा 0.40 है0 भूमि के पीरूलाल वगै0 खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है तथा बनवारी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

12. आया बनवारीलाल खसरा नं0 705 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा पूर्ण भूमि पर कब्जा पाने का अधिकारी है।

13. दादरसी

प्रकरण संख्या 12/08 बनवारीलाल बनाम जगन्नाथ वगै0 में वादी बनवारी लाल ने स्वयं पीडब्ल्यू 1 पीडब्ल्यू 2 कन्हैयालाल महाजन पीडब्ल्यू 3 बाबूलाल पीडब्ल्यू 4 किशनलाल खाती के बयान लेख बद्ध करवाये।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 वसीयतनामा, प्रदर्श 2 व 3 सेटलमेंट पर्चा है व प्रदर्श 4 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 53 है0 प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्वत 2030–32 प्रदर्श 6 जमाबंदी सम्वत 2053–56 प्रदर्श 7 जमाबंदी

[illegible] जमाबंदी 2034–37 प्रदर्श 8 है। प्रदर्श 9 निर्णय आर0 ए0 ए0 दिनांक 30.101983 व खसरा [illegible] है। प्रदर्श 10 एफ0आई0आर0 54/1998 है। प्रदर्श 11 जमाबंदी 2030–33 है। प्रदर्श 12, [illegible]–21 है। रसीद कर्ता व पिलाई प्रदर्श 12 लगायत 53 है।

[illegible] संख्या 194/1990 पीरूलाल बनाम बनवारी में पीरूलाल वगै0 ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 पप्पू [illegible] पीडब्ल्यू 2 चाहन्या बाई पीडब्ल्यू 3 पीरूलाल पीडब्ल्यू 4 दीनदयाल व पीडब्ल्यू 5 बबलू के कथन [illegible] में लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श अ–1 जमाबंदी सम्वत 2012–15 ग्राम रायथल, प्रदर्श अ–2 जमाबंदी सेटलमेंट सम्वत 2014–23 ग्राम रायथल प्रदर्श अ–3 जमाबंदी सम्वत 2061–64 ग्राम रायथल प्रदर्श अ–4 मिलान क्षेत्रफल ग्राम रायथल, प्रदर्श अ–5 नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श अ–6 रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श अ–7 निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा प्रदर्श अ–8 निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर है।

दोनो प्रकरणो में कुल 1 ता 13 तनकी कायम कि गयी है। भिन्न निर्णय ना हो तथा शब्दो का भी बारबार प्रयोग नही किया जावे इसलिए तनकी नं0 1, 2, 6 व 7 तनकी नं0 3, 4 व 5 तनकी नं0 7, 8 व 9 तनकी नं0 10 व 12 का निर्णय एक साथ दिया जा रहा है।

वकील पीरूलाल वगै0 की बहस सुनी गयी प्रदर्श दस्तावेजो बयानो को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा निम्न प्रकार से तनकीवायज विस्तृत निर्णय दिया जा रहा है।

तनकी नं0 1, 2, 6 व 11:– इन सभी तनकीयात को साबित करने का भार वादी पीडब्ल्यू 1 बनवारी लाल पर था बनवारी लाल को आराजी जर्ये वसीयत दिनांक 17.05.1998 चम्पालाल पुत्र रामनाथ से प्राप्त होना राजस्व रेकार्ड में बताया है पीरूलाल वगै0 के वकील महेन्द्र हाडा एडवोकेट ने बहस में बताया कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी प्रदर्श अ–1 वह दस्तावेज हे जिसमें सभी सहखातेदार के नाम उनके हिस्सो सहित अंकित है। प्रदर्श अ–1 का अवलोकन करने पर पाया कि कुल 98 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके माल रायथल कान्ही बेवा रामनाथ जाति मीणा 1/2 हिस्सा सूरजमल वल्द केशोलाल हिस्सा 1/6 पन्नालाल मूलीलाल बेटे लाल हिस्सा 1/6 बल्देव, हरदेव, हीरा बेटे गंगाराम हिस्सा 1/6 बांट बराबर वास रकसपुरिया दर्ज है। फिर यह आराजी प्रदर्श–2 से चम्पालाल पुत्र रामनाथ के दर्ज हो रही है जिसका राजस्व रेकार्ड सम्वत 2014–2023 सेटलमेंट जमाबंदी है।

वकील महेन्द्र सिंह हाडा ने बहस में बताया कि कान्ही बेवा रामनाथ का हिस्सा 1/2 है, शेष हिस्से 1/2 पर अन्य सहखातेदार काबिज काश्त है। रामनाथ लाऔलाद था। उनकी दूसरी पत्नि कान्ही के साथ चम्पालाल गेलड पुत्र आया था, कानून के अनुसार गेलड पुत्र को पिता की आराजी में कोई हिस्सा नही

की आर0आर0डी 2005 पेज सं0 160 में व्यवस्था दी हुई है और यह मान भी लिया जाये कि गलत नही था तो भी वह सम्पूर्ण आराजी को दौराने सेटलमेंट अपने खाते में दर्ज नही करा क्योंकि कान्ही बेवा रामनाथ का 1/2 हिस्सा है इससे ज्यादा वह अपने खाते दर्ज नही करा सकता इस प्रकार चम्पालाल ने जो सारी आराजी दौराने सेटलमेंट दर्ज करायी है वह अवैध व शून्य है क्योकि आराजी में अन्य सहखातेदारों का भी हिस्सा था, जिसको चम्पालाल अपने नाम दर्ज नही करा सकता इसके अलावा न्यायालय का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि चम्पालाल सम्पूर्ण आराजी का खातेदार बनने के बाद उसने अन्य खातेदारों को बेदखल करके कब्जा लेने वास्ते धारा 183 आर0टी0एक्ट के तहत बउनवान चम्पालाल बनाम मूलीलाल वगै0 पेश किया जिसको न्यायालय ने दिनांक 13.12.1965 को खारिज कर दिया अपीलीय न्यायाल आर0ए0ए0 ने दिनांक 08.02.1967 को अपील खारिज कर दी और राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 14.10.1971 को अपील चम्पालाल की खारिज कर दी। सभी न्यायालयों ने यह माना कि इंतकाल नं0 72 दिनांक 25.01.1959 शेष सहखातेदारों पर प्रभावी नही रहेगा। वह उनकी गैर मौजूदगी में तस्दीक किया गया था अतः पीरूलाल वगै0 के विरूद्ध इंतकाल नं0 72 शून्य है।

न्यायालय पक्षकारों के बयानो व वकील हाडा की बहस से इस निष्कर्श पर पहुचा है कि कान्ही बेवा रामनाथ की मृत्यु होने के पश्चात चम्पालाल मात्र उनके हिस्से 1/2 तक ही आराजी प्राप्त कर सकता था। शेष सहखातेदारान पीरू, सूरजमल, मूलीलाल वगै0 के हिस्से की आराजी पर चम्पालाल का कोई अधिकार नही बनता है क्योकि सहखातेदारानो के हिस्से पर तो कान्ही का भी कोई हिस्सा व कब्जा नही था। इस प्रकार इंतकान नं0 72 शून्य घोषित किये जाने योग्य है तथा चम्पालाल गेलड पुत्र था इसको मान्यता न्यायालय के निर्णयो द्वारा हो चुकी है।

बनवारीलाल को जर्ये वसीयत आराजी चम्पालाल से प्राप्त हुयी है चम्पालाल ने दिनांक 17.05.1979 से आराजी को बनवारी लाल के नाम वसीयत कर दी है वसीसयत के बारें में आर0आर0डी 2003 पेज नं0 111 में व्यवस्था दी है कि अपने हिस्से तक ही व्यक्ति वसीयत कर सकता है। इंतकाल नं0 72 शून्य है चम्पालाल के खाते दर्ज आराजी गलत तरीके से हुई है। वह मात्र 1/2 हिस्स तक ही माना जावेगा। इस प्रकार चम्पालाल के द्वारा की गयी वसीयत प्रदर्श 1 विधि विरूद्ध व पीरूलाल वगै0 के शून्य है। चम्पालाल को वसीयत करने का कोई अधिकार नही था क्योकि आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की थी। तथा चम्पालाल मालिक भी नही था। यह आराजी सहखातेदार सूरजमल, मूलीलाल वगैरह की थी तथा उनके कब्जे काश्त की थी। आराजी पर उनका कब्जा है। जैसा कि पीडब्ल्यू 1 , पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3 व पीडब्ल्यू 4 के बयानो से साबित है कि सहखातेदार सूरजमल व मूलीलाल के हिस्से की आराजी उनके वारिसान छयाना बाई पप्पू पीरुमल वगै0 के कब्जे काश्त में है। इनके पूर्व इनके पिता दादा काबिज काश्त

जमाबंदी 2012–15 प्रदर्श अ–1 से स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन से साबिक खसरा नं0 705 रकबा 19 बिस्वा खसरा नं0 734 रकबा 6 बिस्वा के हाल खसरा नं0 888 बीघा खसरा नं0 724 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1494 रकबा 2.17 है0, खसरा नं0 1521 है0 खसरा नं0 1520 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1439 रकबा 0.04 है0, कुल 4.21 है0 को है0 खसरा नं0 1426 रकबा अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। पीरूलाल वगै0 अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1, 2, 6 व 11 बनवारीलाल के विरूद्ध तथा पीरूलाल वगै0 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3, 4 व 5:– इन तनकीयों को साबित करने का भार वकील पीरूलाल वगै0 के उपर है। वकील महेन्द्र हाडा ने अपनी बहस में जमाबंदी सम्वत 2012–15 को दिखाकर कहा कि इसमें कान्ही बेवा रामनाथ का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 अन्य सहखातेदारो का है तो कान्ही की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्सा ही चम्पालाल के नाम दर्ज होगा उन्होने यह भी कहां कि चम्पालाल गेलड पुत्र था उसको कोई हिस्सा प्राप्त नही होगा लेकिन बहस के लिए गेलड नही माना जावें तो भी वह 1/2 हिस्सा ही प्राप्त करेंगा लेकिन चम्पालाल ने इन्तकाल नं0 72 से पूरी 99 बीघा आराजी अपने नाम करा ली जो कि विधि विरूद्ध है और खोला गया इन्तकाल नं0 72 भी शेष खातेदारो के विरूद्ध शून्य है चम्पालाल का 1/2 हिस्से पर ही कब्जा था शेष 1/2 हिस्से पर न्यायालय एस0डी0एम0 बारां, न्यायालय आर0 ए0 ए0 कोटा व राजस्व मण्डल अजमेंर ने चम्पालाल का कब्जा नही मानकर चम्पालाल का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0 एक्ट0 बनवाना चम्पालाल बनाम मूलीलाल वगै0 खारिज फरमा दिया निर्णय प्रदर्श अ–8 व प्रदर्श अ–9 है। वकील महेन्द्र हाडा ने बहस में बताया कि ज्यादा से ज्यादा चम्पालाल 1/2 हिस्से तक ही खातेदार हो सकता था क्योकि पूर्व खातेदार कान्ही बेवा रामनाथ 1/2 हिस्से की खातेदार थी।

उपरोक्त विवेचन व राजस्व रेकार्ड प्रदर्श अ–1, प्रदर्श अ–2 के आधार व बयानो के निष्कर्श से तनकी नं0 3, 4 व 5 वादीगण पीरूलाल वगै0 के पक्ष में बनवारी लाल के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7, 8 व 9:– इन तीनो तनकीयों को साबित करने का भार पीरूलाल वगै0 पर था। उनके अनुसार प्रदर्श अ–1 मे कान्ही बेवा रामनाथ 1/2 हिस्से में तथा 1/2 हिस्से में शेष सहखातेदार दर्ज हो रहे है। कान्ही बेवा रामनाथ की मृत्यु के बाद चम्पालाल ने अपने आपकों वली वारिस बताकर सम्पूर्ण आराजी 98 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार गलत है, सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा खोला गया जो कि कानूनन गलत है, सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 72 शून्य है चम्पालाल 98 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार गलत है इस आराजी में अन्य सहखातेदार पीरूलाल वगै0 का हिस्सा है फिर भी बहस के लिए

[illegible] जावे कि 1/2 हिस्से तक चम्पालाल खातेदार बन सकता था। लेकिन चम्पालाल ने इं0 [illegible] बीघा 5 बिस्वा आराजी को राज कोष में इस्तिफा दे दिया तथा 24 बीघा आराजी सीलिंग में [illegible] बाबत इंतकाल नं0 177 दर्ज किया गया। कुल मिलाकर 71 बीघा 5 बिस्वा आराजी चम्पालाल [illegible] सरकार को दे दी जो कि उसके खाते के हिस्से 1/2 में ही नही थीं इस प्रकार जो आराजी शेष [illegible] बनवारी लाल का कोई हिस्सा मालिकाना हक नही है क्योकि बनवारी लाल को जर्ये वसीयत [illegible] 17.05.1979 आराजी चम्पालाल से प्राप्त हुयी थी चम्पालाल अपने हिस्से की आराजी राज्य सरकार [illegible] चुका है इस प्रकार प्रदर्श 8 राजस्व रेकार्ड के अनुसार इं0 नं0 262 से बनवारी लाल के जो आराजी [illegible] हुयी है वह गलत दर्ज हुयी है। चम्पालाल को वसीयत करने का कोई अधिकार नही था क्योकि उसके हिस्से में वसीयत करने लायक आराजी ही शेष नही थी जो वसीयत की गयी है वह आराजी शेष खातेदार पीरूलाल, जगन्नाथ वगै0 के खाते के हिस्से की थी लिहाजा इं0 नं0 265 भी शून्य घोषित किया जाता है। चम्पालाल को आराजी कान्ही बेवा रामनाथ से प्राप्त हुयी उक्त इं0 नं0 72 भी शून्य है तथा बनवारी लाल को चम्पालाल की वसीयत से आराजी प्राप्त हुयी और इं0 नं0 265 से खाते दर्ज की गयी। न्यायालय इं0 नं0 72 व इं0 नं0 265 को पीरूलाल वगै0 के विरूद्ध शून्य घोषित करती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 7, 8 व 9 पीरूलाल वगै0 के पक्ष में तथा बनवारीलाल के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नं0 10 व 12:– इन तनकियो को साबित करने का भार उभय पक्ष को है सम्वत 2012–15 के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में सूरजमल 1/6 हिस्सा मूलीलाल 1/6 हिस्सा चतुर्भुज 1/6 हिस्सा दर्ज हो रहा है। पीरूलाल, छयाना बाई, पप्पू, ओम प्रकाश आदि पक्षकार इनमें लीगल वारिस है। और लगातार आराजी पर पीढी दर पीढी सम्वत 2012 से काबिज काश्त चले आ रहे है। डीडब्ल्यू 4 दीनदयाल व डीडब्ल्यू 5 बबलू ने इनके काश्त की पुष्टि की है। पीरूलाल वगै0 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 888 रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 1520 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1494 रकबा 2.17 है0, खसरा नं0 1521 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 1426 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1439 रकबा 0.04 है0, कुल 4.21 है0 आराजी बनवारी लाल के खाते दर्ज हो रही है जो कि उसने इं0 नं0 265 से अपने खाते में जर्ये वसीयत दर्ज करायी है। पूर्व तनकीयो का निर्णय करते समय इं0 नं0 265 व वसीयत प्रदर्श 1 को अवैध व शून्य घोषित किया जा चुका है दोबारा विस्तृत वर्णन उचित प्रतीत नही होता है पूर्व में किये गये विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित आराजी 4.21 है0 पर बनवारीलाल का कब्जा काश्त नही है। वकील हाडा ने अपनी बहस में बताया कि वर्तमान में भी पीरूलाल का कब्जा काश्त है सम्पूर्ण साक्ष्य व रेकार्ड देखने के पश्चात न्यायालय बनवारीलाल की खातेदारी खारिज करना उचित समझती है। यह दर्ज आराजी बनवारी लाल के कब्जे की

[illegible] अतः कुल किता 6 रकबा 4.21 है0 वाके माल रायथल पर से बनवारी की खातेदारी खारिज की [illegible] आराजी को पीरूलाल वगै0 वादीगण के खाते में दर्ज करके खातेदार घोषित किया जाता है।

[illegible] विवेचन के आधार पर तनकी नं0 10 व 12 वादीगण पीरूलाल वगै0 के पक्ष में तथा बनवारीलाल [illegible] निर्णीत की जाती है।

[illegible]– अतः आदेश दिया जाता है कि:–

1. प्रकरण संख्या 12/08 बउनवान बरवारीलाल बनाम जगन्नाथ वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।
2. प्रकरण संख्या 24/90 बउनवान पीरूलाल वगै0 बनाम बनवारी लाल वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा नं0 888 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1520 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 1494 रकबा 2.17 है0, खसरा नं0 1521 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 1426 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1439 रकबा 0.04 है0, किता 6 कुल 4.21 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल से बनवारीलाल पुत्र रामकरण की खातेदारी खारिज की जाकर वादीगण पीरूलाल वगै0 को खातेदार घोषित किया जाता है।
3. एक स्थायी निषेधाज्ञा भी बनवारीलाल के विरूद्ध पारित की जाती है कि खातेदार पीरूलाल वगै0 के खाते में दर्ज आराजी पर दखल अंदाजी ना करें। पर्चा डिक्री बनायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।